FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

दिलीप ..... बनाम अनिल कुमार वगै.

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 78 / सन् 2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
8/5/23	वकील वादी / वादीगण उपस्थित।	
	वकील वादी / वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92 RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना–पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. का भी पेश किया है जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 के विरूद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/7/23 को पेश हो।	2-3 25/7 / 12/8/23
	उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)	
25/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील मय वादी के प्रार्थना पेश किया कि उभय अनवार के प्रकरण में पक्षकारान के बीच राजीनामा हो चुका है। अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है उभय वाद मय वादिये विड्रोल रवाजिब की जावे जावे की इस्तदुआ भी है। प्रार्थना पत्र नामिन है।	
	अतः पत्रावली पर अवलोकन किया, प्रकरण आरम्भिक स्तर पर ही है। वादी का वाद जरिये विड्रोल रवाजिब किया जाता है। पक्षकारान खुशी होकर नजदीक के मध्य है। [illegible] दाखिल दफ्तर लेखन। आज पत्रावली [illegible]	(वादी दिलीप कुमार) I.D. Sohurhusain Adv.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:31:56 IST
Reason: SelfAttested